न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 07.09.2021

अपील संख्या 2021/113

उनवान

1– भैरूलाल पुत्र टून्डा
2– बाबूलाल पुत्र टून्डा
3– पोपाबाई पुत्री टून्डा

। जाति मेघवाल, निवासीगण देहलाहेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

.... अपीलांट

बनाम

1– बंशीलाल पुत्र छीत्या मेघवाल, जाति मेघवाल, निवासी देहलाहेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
2– सूरजमल पुत्र छीत्या मेघवाल, जाति मेघवाल, निवासी देहलाहेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)

2/1– मोहनलाल
2/2– नन्दकिशोर
2/3– राधेश्याम
2/4– प्रेमचन्द

। पिसरान स्व0 सूरजमल, जाति मेघवाल, निवासीगण देहलाहेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां

2/5– केलाबाई पत्नी सूरजमल मेघवाल, जाति मेघवाल, निवासी देहलाहेड़ी, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
2/6– कान्तिबाई पुत्री सूरजमल मेघवाल, पत्नी धनराज, जाति मेघवाल, निवासी धाकडखेडी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (राज0)
3– सूरज्या बाई पुत्री छीत्या, पत्नी श्री पाथूलाल, जाति मेघवाल, निवासी अमरपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां (राज0)
4– बजरंगलाल पुत्र किशोरीलाल, जाति मेघवाल, निवासी बरखरेडा, तहसील अन्ता, जिला बारां, (राज0)
5– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां, (राज0)

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री श्यामलाल सुमन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री महावीर प्रसाद बैरवा अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1, 2/1 से 2/4, 2/6 व 4 की ओर से, शेष रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 563/2011 निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 लगायत 3 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि वाके माल लिसाडी, तहसील अन्ता में खसरा नं. 574 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नं. 577 रकबा 2.25 हेक्टर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 से वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम लिसाडी की आराजी खसरा नं. 574 रकबा 2.15 हेक्टर भूमि वादीगण के राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है में से टुण्डा पुत्र पांच्या व भूली, गोपाली का नाम हटाये जाने व छीत्या के वारिसान बंशीलाल, सूरजमल, सूरज्याबाई के नाम दर्ज करने के आदेश दिये, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 न्याय नियम एवं तथ्यों के विपरीत होने से काबिले निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी ग्राम लिसाडी, तहसील अन्ता, जिला बारां की खसरा नं. 574 रकबा 2.15 हेक्टर, खसरा नं. 577 रकबा 2.25 हेक्टर रिकार्ड के अनुसार टून्डा पुत्र पांच्या व छीत्या पुत्र पांच्या के हिस्से की भूमि है जिसमें टून्डा का 1/2 हिस्सा और छीत्या का 1/2 हिस्सा, सहभागी काश्तकार निहित है, छीत्या खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमियां का बतौर 1/2 हिस्सा छीत्या के वारिसान बंशीलाल, सूरजमल, व सूरज्या बाई पिसरान छीत्या के नाम इंतकाल सं. 67 बिना तारीख के सरपंच ग्राम पंचायत खजुरना, तहसील अन्ता, जिला बारां ने फोती इंतकाल रेस्पोडेंट कम 1, 2, 3 के नाम दर्ज कर दिया। अतः 1/2 हिस्सा का खातेदार टून्डा और 1/2 हिस्से का सहभागीदार खातेदार रेस्पोडेंट कम 1, 2, 3 दर्ज कर दिया, छीत्या, टून्डा के पिता पांच्या की दो पुत्रियां भूली और गोपाली की मृत्यु हो गई, केवल 1/2, 1/2 हिस्से के सहभागी खातेदार अपीलांट और रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नं. 574 की 2.15 हेक्टर आराजी का सहखातेदार अपीलांट के होते हुए भी उनका नाम रिकॉर्ड से हटाये जाने की डिक्री व निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है।

अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नं. 1, 2, 3 के पिता छीत्या, विवादग्रस्त भूमि को बतौर शामलाती तौर से काश्त करते चले आ रहे थे, खसरा नं. 577 की 2.25 हेक्टर भूमि को अपीलांट के पिता टून्डा एवं छीत्या के वारिसान रेस्पोडेंट कम 1 ता 3 ने शामलाती तौर पर रेस्पोडेंट कम 4 बजरंगलाल को दिनांक 01.07.2002 को 2,80,000/– रूपये में शामलाती तौर पर विक्रय कर दिया जिसके विक्रय का पंजीयन उपपंजीयक अन्ता के यहां हो रहा है, उक्त विक्रय की गई भूमि शामलाती है और शामलाती ही विक्रय हुई, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की ही उक्त भूमि मानकर कानूनी त्रुटि की है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया है। उक्त विक्रय

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पत्र का नामान्तरकरण सं. 163 से दिनांक 05.07.2002 को रेस्पोडेंट बजरंगलाल के नाम उक्त भूमि दर्ज हो गई है।

शामलाती खसरा नं. 577 रकबा 2.25 हेक्टर भूमि के विक्रय करने के पश्चात् शेष खसरा नं. 574 की 2.15 हेक्टर भूमि शेष रहती है जिसमें 1/2 हिस्सा टून्डा के वारिसान एवं 1/2 हिस्सा छीत्या के वारिसान को है। टून्डा की भी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अपीलांट है। अधीनस्थ न्यायालय ने मिथ्या एवं बेबुनियाद रेस्पोडेंट कम 1 और 3 ने शामलाती खाते की भूमि को अपनी बताकर खातेदारी घोषित करने और विभाजन का व स्थाई निषेधाज्ञा का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय से करवाया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

अपीलांट प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में किसी को कोई वकील नियुक्त नहीं किया न कोई जवाबदावा दिया, बनावटी तौर पर कार्यवाही की गई है। अपीलांट को उक्त दावे की ओर जवाबदावे की व प्रोसिडिंग की कोई जानकारी नहीं है, कोई सूचना अपीलांट को नहीं हुई है। षडयंत्र पूर्वक धोखा से कोई कार्यवाही की गई है, उसके लिए अपीलांट पाबन्द नहीं है, अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में फ्रोड किया है मिलीभगत करके सारी कार्यवाही की गयी है, जिसकी कार्यवाही अपीलांट अलग से करेंगे।

वाद विभाजन स्थायी निषेधाज्ञा और घोषणा का है, जिसमें गोपाली व भूरी का नाम बिना तहकीकात के हटा दिया है, जो अवैध है तथा दौराने वाद कालूलाल पुत्र टून्डा की मृत्यु हो गई है, जिसकी मृत्यु 03.10.2015 को हुई है, उसका कोई कायम मुकाम रिकार्ड पर नहीं लिया गया है, अतः मृतक व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री नल एण्ड वोईड है।

अधीनस्थ न्यायालय ने कोई शहादत, तहकीकात, नहीं की है, अपीलांट विभाजन भूमि के सहभागी काश्तकार है और काबिल काश्तकार है। इन तथ्यों पर गौर न करके अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री पारित करने में कानूनी त्रुटि की है, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट सूरजमल की मृत्यु हो चुकी है, उसके अपील में कायम मुकाम बनाये गये हैं, और रेस्पोडेंट कम 4 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 को निरस्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 18.06.2020

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें वादीगण द्वारा षडयंत्रपूर्वक प्रार्थी की ओर से फर्जी हस्ताक्षर करवाकर वकालतनामा व जवाबदावा प्रस्तुत करवाया है, जिसकी प्रार्थी द्वारा थाना अन्ता जिला बारां में एक एफ.आई.आर. नं. 130 दिनांक 10.04.2023 को अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120–बी, 196, 197 एवं 209 के अन्तर्गत दर्ज करवायी है। जिसका संबंध अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री है। अपील के अंतिम निर्णय में उक्त एफ.आई.आर. सहायक होगी। इसलिए प्रार्थी उक्त एफ.आई.आर. को अपील में प्रस्तुत करना चाहता है जो कि वादीगण के विरूद्ध पेश की जिसे रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आर्डर 41 नियम 27 सी पी सी जो दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड से सम्बन्धित नहीं है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित किया कि ग्राम लिसाडी, तहसील अन्ता, जिला बारां की खसरा नं. 574 रकबा 2.15 हेक्टर भूमि तथा खसरा नं. 577 की 2.25 हेक्टर भूमि शामलाती खाते की दोनों पक्षों की भूमि है, इस भूमि में से खसरा नं. 577 की 2.25 हेक्टर भूमि शामलाती तौर पर सहभागी काश्त के तौर पर प्रति. क्रम 5 को विक्रय की गई है, जो भूमि टुण्डा की बताकर अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय किया है वह त्रुटिपूर्ण है, शेष बची हुई भूमि खसरा नं. 574 की 2.15 हेक्टर भूमि अपीलांट/रेस्पोडेंट की शामलाती भूमि है जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा व रेस्पोडेंट का 1/2 हिस्सा निहित है।

आदेशिका दिनांक 8.04.2015 में आलेखित है कि पत्रावली पेश हुई, वकील वादी व प्रतिवादी क्रम 5 के वकील उपस्थित। पत्रावली वास्तु शेष की तलबी में दिनांक 04.06.2015 को पेश हो। दिनांक 04.06.2015 की कोई आर्डरशीट नहीं है। उसी प्रकार कोई आर्डरशीट नहीं होते हुए भी दिनांक 07.08.2015 को आदेशिका में आलेखित है कि पत्रावली पेश हुई, वकील वादी उप0 प्रति. क्रम 1 ता 5 की ओर से श्री देवकीनंदन गालव के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो शामिल फाईल किया, प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया, नकल वादी को दिलाई, पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 07.09.2015 को पेश हो।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आर्डरशीट में किसी भी प्रतिवादी के हस्ताक्षर नहीं है, न कोई सम्मन उक्त तिथि का है, कोई सूचना प्रतिवादीगण को अदालत की ओर से नहीं मिली है। सारी कार्यवाही फर्जी तौर पर की गई है, जो अवैध है।

अधीनस्थ न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किये गये हैं, वे शामलाती तौर पर भूमि के दस्तावेज है और उन दस्तावेजों में अपीलांट व रेस्पोडेंट सहभागी काश्तकार है।

अपीलांट प्रतिवादीगण को कोई तामील अधीनस्थ न्यायालय के सम्मन की नहीं हुई है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण की अनदेखी करके किस प्रकार से वाद निर्णीत किया है, अधीनस्थ न्यायालय को पक्ष देखना आवश्यक था, बिना अपना ज्यूडीशियल माईण्ड एप्लाई करके निर्णय पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त तिथि का कोई सम्मन उपलब्ध नहीं है किस प्रकार से वकील बनकर वकालतनामा पेश करके इकबालिया जवाब देकर अधीनस्थ न्यायालय से निर्णय पारित करवाया है, जो सर्वथा न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विपरीत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश 5 नियम 1 सी पी सी व सम्मन की प्रक्रिया के तहत न तो कोई कार्यवाही की है और ना ही कोई तामील करवाई है और ना ही कोई प्रोसस सरवर का शपथ पत्र आदि की कोई प्रक्रिया अपनायी है। महज वादी ने प्रतिवादी के वकील बनाकर यह वाद निर्णीत किया है, जो बेबुनियाद व मिलीभगत द्वारा कराया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

आदेश 6 नियम 15 सी पी सी के अन्तर्गत प्लीडिंग पर वेरीफिकेशन यानि सत्यापन अभिवचन व पैराग्राफ का सत्यापन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है तथा प्लीडिंग पर प्रस्तुत करने के विषय में अपना शपथ पत्र भी आवश्यक है। अतः जो जवाबदावे की इकबालियां प्लीडिंग दी गई है वह कानून के विरूद्ध होने से अमान्य है। अतः वाद में जो प्रोसेडिंग हुई है, वह गलत तौर पर हुई है।

अपीलांट ने फर्जी तौर पर वकालतनामा और वाद में प्लीडिंग का जवाबदावा दिया है जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा पुलिस थाना अन्ता में एफ.आई.आर. दर्ज करवा रखी है, जिसकी कार्यवाही हो रही है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.बी.जे.(5) 1998 पेज 380, आर.बी.जे.(15) 2008 पेज 761, व आर.बी.जे.(16) 2009 पेज 483 की नजीरे पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अन्ता ने जो निर्णय व डिक्री पारित किया है वह उचित है, अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में Code of Civil Procedure] 1908 आर्डर 6 नियम 15 पेज 123 पेश की जो शामिल पत्रावली की गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई. आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रकियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया।

विवादित आराजी खसरा नं. 574 रकबा 2.15 हैक्टेयर एवं खसरा नं. 577 रकबा 2.25 हेक्टर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स के पिता के नाम शामलाती खाते में दर्ज होना प्रमाणित है। रजिस्टर्ड सेल डीड से टूण्डा पुत्र पांच्या तथा सूरजमल, बंशीलाल पुत्र छीत्या तथा सूरजा बाई पुत्री छीत्या द्वारा संयुक्त रूप से आराजी खसरा नं. 577 रकबा 2.25 हेक्टर का बेचान रेस्पोडेंट कम 4 बजरंगलाल को किया गया। उक्त रजिस्टर्ड सेल डीड में विक्रय राशि प्रथम पक्ष का शामलाती रूप से प्राप्त करना प्रकट होता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण छीत्या के वारिसान द्वारा उक्त रजिस्टर्ड सेल डीड से विक्रय की गई आराजी टुण्डा के द्वारा विक्रय किया जाना बताकर खसरा नं. 574 रकबा 2.15 हेक्टर पर टुण्डा के वारिसान का नाम विलोपित करवा लिया।

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलांट द्वारा स्वयं को तामील नहीं होना तथा वकालतनामा फर्जी होने के तथ्य प्रकट किये हैं तथा इकबालिया जवाब एवं फर्जी वकालतनामा पेश करने के कारण रेस्पोडेंट्स छीत्या के वारिसान के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करवायी है।

पत्रावली का अध्ययन करने से प्रकट होता है कि सम्पूर्ण प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे खसरा नं. 577 टुण्डा द्वारा exclusive बेचान करना प्रमाणित होता हो। टुण्डा द्वारा विकय राशि स्वयं अकेले प्राप्त करने बाबत भी कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य भी उपलबध नहीं है जिससे खसरा नं. 577 पर एकमात्र टुण्डा का हक व कब्जा होना प्रमाणित हो तथा खसरा नं. 574 पर छीत्या अथवा उनके वारिसान का exclusive कब्जा एवं हक होना प्रमाणित होता हो।

अपीलांट्स द्वारा दर्ज एफ.आई.आर. जांच का विषय है। हमारी राय में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के पक्ष में इकबालिया जवाब दावा दिया जाने पर भी न्यायालय का कर्त्तव्य है कि वह विधिनुसार तथ्यों की जॉच करें।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी दस्तावेज अथवा साक्ष्य के अपीलांट्स का नाम शामलाती खाते से विलोपित करना विधि विरूद्ध तथा त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं होने से तथा त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाना तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.05.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारों को समुचित सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देकर एवं गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.09.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा